

08/05
24

पत्रावली पेश हुई। अधिनियम वादी के पक्षकार-
अनुपस्थित रहे। बार-2 आवाजे लगायी गई।
परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। अन्तिम आवाज
साय: 5:00 बजे लगायी गई। कोई उपस्थित नहीं
होने के कारण पत्रावली अक्षम दायरी अधिसूचना
में खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णित शुभारंभ
होकर दायर दायित्व हो एवं नियमानुसार
नम्बर से कम हो।



उप डायट अधिकारी
पीपलू (टॉक)